बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—:संकल्पः—

कार्य प्रमंडल, बेगूसराय अंतर्गत निर्मित L0-21 —लाल दियारा पथ (पैकेज सं0— BR-04R-131) का NQM द्वारा दिनांक 20.02.2019 को किये गये निरीक्षण में असंतोषजनक श्रेणी प्रदान किये जाने के उपरान्त ATR का निष्पादन लंबित रहने के आरोप में श्री रामसेवक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति सेवानिवृत को विभागीय पत्रांक 2426 दिनांक 17.12.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इन्हे स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए कई बार स्मारित भी किया गया। बारंबार स्मारित किये जाने के बावजूद इनके द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

2. कार्य प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत भूमि जल निकाय के तहत करहा के रूप में अवस्थित भूमि में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के पथ निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन बनाकर जनहित के विरूद्ध कार्य कराये जाने के मामले में श्री सिंह को विभागीय पत्रांक 1370 दिनांक 12.08.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया, तथा बारंबार स्मारित करने के बावजूद इनके द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

3. जिला पदाधिकारी, **बेगुसराय** द्वारा प्रतिवेदित आरोपों में इनके विरूद्ध प्रायः बिना सूचना के जिला मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने एवं जिलास्तरीय निर्धारित बैठक में बिना सूचित किये अन्य पदाधिकारी को भेजे जाने के आरोप में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 1509 दिनांक 12.09.2022 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने की मांग की गयी तथा बारंबार स्मारित करने के बावजूद इनके द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

4. जिला पदाधिकारी, **बेगूसराय** द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में है जिसमें पूर्व निर्धारित बैठक में, संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारी की समीक्षात्मक बैठक में एवं विभागीय कार्य हेतु खोजने पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने के आलोक में श्री सिंह को विभागीय पत्रांक 1655 अनु0 दिनांक 15.10.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया तथा बारंबार स्मारित करने के बावजूद इनके द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

5. उपर्युक्त तीन मामले में आरोप पत्र एवं एक मामले में जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिंह को आरोपों के संबंध में कई स्मार दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा इन मामलों में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

6. इस आधार पर सिंह की सेवा पूर्णतः असंतोषजनक मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कार्यवाही करते हुए विभागीय पत्रांक 2675 अनु0 दिनांक 16.10.2024 द्वारा इस आशय का बचाव बयान समर्पित करने का निदेश दिया गया कि क्यों नहीं उक्त मामलों के आधार पर आपकी सेवा असंतोषजनक मानते हुए आपके पेंशन से यथोचित कटौती की जाय तथा पुनः विभागीय पत्रांक 1793 अनु0 दिनांक 11.2.2025 द्वारा श्री सिंह को बचाव बयान समर्पित करने के लिए स्मारित भी किया गया, परन्तु श्री सिंह द्वारा बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया।

7. श्री रामसेवक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता को विभाग द्वारा Natural Justice Principle को दृष्टिगत रखते हुए चारों संबंधित मामलों में स्पष्टीकरण समर्पित करने का पर्याप्त मौका दिया गया परन्तु उनके द्वारा कोई जवाब समर्पित नहीं किया जाना Wilful disobedience को दर्शाता है तथा इनके विरूद्ध आरोप का होना एवं जिला पदाधिकारी का प्रतिकुल प्रतिवेदन बतलाता है कि ये Harmful Offender भी रहे हैं।

8. मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रामसेवक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध दो वर्षों के लिए पेंशन से 20 प्रतिशत कटौती का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रामसेवक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) दो वर्षों तक पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

SKumar
25/8/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–144/2022 9157 /पटना, दिनांकः– 26.8.25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाषनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

SKumar
25/8/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–144/2022 9157 /पटना, दिनांकः– 26.8.25

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar
25/8/25
अवर सचिव

ज्ञापांकः— 3/अ०प्र०—1—144/2022 9157 /पटना/दिनांकः— 26.8.25

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगुसराय/आरा/ श्री रामसेवक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति सेवानिवृत (पत्राचार का पताः— ग्राम+पोस्ट— केराई(सरपत्ती), भाया—कल्याणपुर, थाना—विभूतिपुर, समस्तीपुर, बिहार, पिन—848160, मोबाईल नं0—7091444496 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar
25/8/25
अवर सचिव